भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1674

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि संकट

1674. एडवोकेट डीन कुरिया कोस :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पंद्रह वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि संकट को कम करने के लिए चयनित जिलों/क्षेत्रों के लिए मंजूर किये गए विशेष पैकेजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत किए गए ऐसे पैकेजों की वर्तमान स्थिति क्या है और अनुमोदित मंजूर की गयी, उपयोग की गयी और व्यपगत कुल निधि का पैकेज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे पैकेजों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनके लिए कार्यान्वयन की अवधि पहले की समाप्त हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केरल के इडुक्की क्षेत्र में बाढ़ और किसानों के बीच बढ़ती आत्महत्या के पश्चात् कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट के कारण केरल के इडुक्की पैकेज को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (ग) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष / पुनर्वास पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के चार राज्यों में 31 अभिज्ञात जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज 2006 में 3 साल की अवधि में लागू किए जाने को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने पैकेज के गैर क्रेडिट घटकों को लागू करने की अवधि को 2 और वर्षों अर्थात् 30 सितंबर, 2011 तक बढ़ा दिया था।

(ii) 2006-07 के दौरान, भारत सरकार ने केरल राज्य के पलक्कड़, वायनाड और कासरगोड के आत्महत्या प्रवण जिले में किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए, 765.24 करोड़ की कुल राशि के लिए एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी थी; यह पैकेज जिला कलेक्टर वायनाड, पलक्कड़ और कासरगोड, मृदा संरक्षण विभाग, जलनिधि, सिंचाई विभाग, मिशन निदेशक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), स्थानीय स्वशासन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन और ग्रामीण विभाग और कृषि विभाग के माध्यम से लागू किया गया है।

(iii) कुट्टनाद पैकेज: - इस योजना में कुट्टनाड क्षेत्र में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए परिकल्पना है। (अलापुझा, कोट्टायम और पठानमथिट्टा जिले)।

(iv) इडुक्की पैकेज: - इस योजना में इडुक्की जिले में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए परिकल्पना।

(v) कासरगोड पैकेज: -कसरगोड जिले में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए परिकल्पित योजना।

(vi) अगस्त, 2015 में भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए 3094 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया था। पैकेजों की वर्तमान स्थिति **अनुबंध- II** पर है।

(vii) विदर्भ और मराठवाड़ा में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज को 2018-19 के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुमोदित किया गया है:

"दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार 13,651.607 करोड़ रु. की लागत 8 मेजर और मीडियम इरिगेशन (एमएमआई) परियोजना और 83 भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित अतिरिक्त क्षमता 3.77 लाख हेक्टेयर है। 2018-19 और 2019-20 के दौरान 500 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रु. अब तक जारी किए गए हैं "।

(viii) वर्ष 2009 में, भारत सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 7266 करोड़ रु. की लागत से सूखा शमन कार्यनीति लागू करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 3506 करोड़ रु., मध्य प्रदेश के लिए 3760 करोड़ रु. शामिल हैं और इसे 2009-10 से शुरू होने वाले 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 3450 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करने की परिकल्पना की गई। एसीए में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी क्रमश: 1596 करोड़ रु. और 1854 करोड़ रु. होने की परिकल्पना की गई थी। पैकेज की शेष लागत, चल रहे केन्द्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संसाधनों को परिवर्तित करके पूरी की जानी थी। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और बुंदेलखंड से संसद के अन्य सदस्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (प्रत्येक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए 100 करोड़ रु.) की मंजूरी दी।

कृषि एवं सहकारिता विभाग भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की 2009-2012 की अवधि के लिए चला रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों पर 586.5 करोड़ रु. की राशि प्रदान करने के लिए सहमत हुए। भारत सरकार ने 12वीं योजना अवधि (2012-2017) के दौरान, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के तहत 4400 करोड़ रु. के बुंदेलखंड विशेष पैकेज को निरंतर बनाए रखने के लिए अुनमोदित किया था जो खाद्यान्न उत्पादन को बनाए रखने के लिए बुंदेलखंड विभिन्न मुद्दों का निवारण करेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के समय उद्देश्य के साथ क्षेत्र में आजीविका का समर्थन प्रदान करे इसके अलावा, ग्रामीण से शहर की ओर पलायन रूकेगा।

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के पैकेज की स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य	जारी की गई निधि	मार्च, 2019 तक व्यय	राज्य सरकार के पास बची हुई निधि
उत्तर प्रदेश	3107.87	2289.78	818.09
मध्य प्रदेश	3226.21	3068.14	158.07

(ix) जम्मू और कश्मीर (जेएडंके) के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) :

दिनांक 7.11.2015 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में भारत सरकार के 90 प्रतिशत अंश के रूप में क्रमश: 111.89 करोड़ रूपए, 171.66 करोड़ रूपए और 166.48 करोड़ रूपए के परिव्यय से जेएडंके के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई जिसमें क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्र की बहाली और बागवानी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये (भारत सरकार के अंश के रूप में 450 करोड़ रूपए और राज्य अंश के रूप में 50 करोड़ रूपए) शामिल थे। यह आवंटन समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। वर्ष 2016-17 में अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्ष की समय सीमा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई।

दिनांक 31.3.2019 तक प्रधानमंत्री विकास पैकेंज (पीएमडीपी), 2015 के कार्यान्वयन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

केंद्रीय अंश (रूपए करोड़ में)					**राज्य अंश (रूपए करोड़ में)**	
परियोजना की लागत	**मंजूरी**	**निर्मुक्ति**	**उपयोग**		**धनराशि**	**निर्मुक्ति**
500.00	450.00	197.89	138.82		50.00	28.97

(X) तितली चक्रवात के लिए विशेष पैकेज : केरल राज्य में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए दिनांक 18.08.2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के केरल दौरे के दौरान एमआईडीएच के तहत क्षतिग्रस्त बागवानी फसलों के पुन: रोपण हेतु केरल के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के निदेश दिए गए थे। तदनुसार एमआईडीएच के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बागवानी फसलों के पुन: रोपण हेतु केरल सरकार को केन्द्र सरकार के 56.03 करोड़ रु. के अंश सहित 93.39 करोड़ रु. के विशेष पैकेज को अनुमोदन दिया गया है।

भारत सरकार के 56.03 करोड़ रु. के संपूर्ण अंश को दिनांक 28.08.2018 को केरल सरकार को जारी किया गया। राज्य बागवानी मिशन, केरल ने सूचित किया है कि उसने केरल राज्य वित्त से प्राप्त 24.93 करोड़ रु. के भारत सरकार के अंश में से 22.85 करोड़ रु. का उपयोग कर लिय गया है और भारत सरकार द्वारा मंजूर कुल 56.03 करोड़ रु. में से शेष 27.01 करोड़ रु. केरल राज्य वित्त द्वारा अभी जारी किया जाना है।

(XI) गज चक्रवात के लिए विशेष पैकेज - तमिलनाडु में गज चक्रवात 16.11.2018 को आया और इसने नागापट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई, तिरुवूर, सिवांगंगई, करूर, त्रिची, डिंडीगुल, मदुरै, अरियालुर, कुड्डलोर और थेनी जिलों में भीषण तबाही मचाई।

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के वर्ष 2018-19 के दौरान विशेष पैकेज के रूप में तमिलनाडु सरकार को भारत सरकार के 73.94 करोड़ रु. सहित (50.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि + फ्लेक्सी फंड के तहत 23.94 करोड़ रुपये) सहित 123.24 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

इसके अलावा, नारियल के टूटे हुए/ क्षतिग्रस्त पेड़ों की कटाई और इने हटाने, नारियल के पौधों के वितरण, पौधशालाओं की स्थापना के लिए नारियल विकास बोड़, कोच्चिके लिए 92.00 करोड़ रुपये की धनराशि को अनुमोदन दिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान तमिलनाडु सरकार को पूरी राशि जारी की गई थी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गजा चक्रवात को विशेष पैकेज के लिए स्वीकृत निधियां वित्तीय वर्ष के समापन पर तमिलनाडु राज्य वित्त से प्राप्त हुई और गज से प्रभावित खेतों में पौध रोपण का मौसम समाप्त होने तथा लोकसभा आम चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कोई भी व्यय नहीं किया जा सका। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि राज्य बागवानी खेतों में लाभार्थियों की पहचान, कार्य आदेश को जारी करना, फसल उगाने वाली प्रो ट्रे, पौधों के इंतजाम जैसी प्रारंभिक गतिविधियाँ पूरी कर ली गई है।

(XII) उपरोक्त के अतिरिक्त, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के संबंध में प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता (एसीए) देने पर भी विचार किया जाता है। एसडीआरएफ / एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत उपाय करने के लिए दी जाती है, ना कि पीड़ित/ दावों के रूप में नुकसान की भरपाई करने करने के लिए दी जाती है।

वर्ष 2004-05 से सूखा, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण और शीत लहर / पाला जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से अनुमोदित सहायता का विवरण **अनुबंध - I** पर है।

उपयोग की गई निर्मुक्त निधियों और विभिन्न पैकेजों की वर्तमान स्थिति का विवरण **अनुबंध- II** पर दिया गया है।

(घ) एवं (ड.) : केरल सरकार ने भारत सरकार से इडुक्की पैकेज की अवधि को और दो साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। भारत सरकार ने सलाह दी थी कि इडुक्की पैकेज के तहत उल्लिखित योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी योजनाओं के तहत आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इडुक्की में किसानों की आजीविका में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

लो.स.अता.प्र.सं. 1674

अनुबंध-I

राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि, कीट हमला और शीत लहर/ठंड) के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अनुमोदित सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	एनडीआरएफ के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सहायता
2004-05 के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा	1199.68	185.73
2.	बिहार	सूखा	2342.57	162.15
3.	छत्तीसगढ़	सूखा	604.96	93.44
4.	झारखंड	सूखा	928.12	139.82
5.	कर्नाटक	सूखा	1147.72	83.67
6.	मध्य प्रदेश	सूखा	725.69	36.30
7.	महाराष्ट्र	सूखा	1117.99	174.66
8.	पंजाब	सूखा	4582.93	-
9.	राजस्थान	सूखा	3318.01	488.98
10.	तमिलनाडु	सूखा	1910.58	156.84
11.	उत्तर प्रदेश	सूखा	7226.10	360.94
	कुल		**25104.35**	**1882.53**
2005-06 के दौरान				
1.	हिमाचल प्रदेश	सूखा	377.00	39.02
2.	झारखंड	सूखा	869.70	107.37
3.	मध्य प्रदेश	सूखा	657.80	97.56
4.	राजस्थान	सूखा	1544.63	146.50
5.	उत्तराखंड	सूखा	287.80	38.99
	कुल		**3736.93**	**429.44**
2006-07 के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा	287.81	76.27
2.	कर्नाटक	सूखा	1262.95	78.96
	कुल		**1550.76**	**155.23**
2007-08 के दौरान				
1.	मध्य प्रदेश	सूखा	1883.81	42.09
2.	उत्तराखंड	सूखा	220.04	27.78
	कुल		**2103.85**	**69.87**
2008-09 के दौरान				
1.	कर्नाटक	सूखा	2043.07	83.83
2.	उत्तराखंड	सूखा	200.14	57.51
	कुल		**2243.21**	**141.34**
2009-10 के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा	10106.77	575.30

2.	असम	सूखा	792.60	89.94
3.	बिहार	सूखा	23071.13	1163.64
4.	हिमाचल प्रदेश	सूखा	608.13	88.93
5.	जम्मू और कश्मीर	सूखा	211.82	156.77
6.	झारखंड	सूखा	890.31	200.955
7.	कर्नाटक	सूखा	394.92	116.49
8.	केरल	सूखा+ओले	168.22	33.02 (32.90-सूखा, 0.12-ओलावृष्टि)
9.	मध्य प्रदेश	सूखा	11669.68	246.31
10.	महाराष्ट्र	सूखा	15059.64	671.88
1 1.	मणिपुर	सूखा	22.09	14.57
12.	नागालैंड	सूखा	74.76	21.12
13.	ओडिशा	सूखा	2266.65	151.92
14.	राजस्थान	सूखा	14927.37	1034.84
15.	उत्तर प्रदेश	सूखा	12133.42	515.05
	कुल		**92397.51**	**5080.735**
2010-11 के दौरान				
1.	बिहार	सूखा	6573.45	1459.54
2.	झारखंड	सूखा	2871.00	855.30
3.	ओडिशा	सूखा	1576.80	376.55
4.	पश्चिम बंगाल	सूखा	1100.00	724.99
	कुल		**12121.25**	**3416.38**
2011-12 के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा	3006.41	706.15
2.	हरियाणा	शीत लहर/ठंड	287.00	31.10
3.	कर्नाटक	सूखा सूखा-आर	2605.99 3609.35	186.68 282.35
4.	महाराष्ट्र	सूखा-आर	1118.37	574.71
	कुल:		**10627.12**	**1780.99**
2012-2013 के दौरान				
1.	कर्नाटक	सूखा	7672.40	526.06
2.	महाराष्ट्र	सूखा सूखा-आर	3232.15 1801.32	778.09 1036.98
3.	केरल	सूखा सूखा-आर	1996.07 532.78	62.61 107.89
4.	गुजरात	सूखा	7357.54	864.71
5.	राजस्थान	सूखा	1107.99	320.64
6.	आंध्र प्रदेश	सूखा	1090.78	142.97
7.	तमिलनाडु	सूखा	19665.13	624.69
	कुल:		**44456.16**	**4464.64**
2013-2014-के दौरान				
1.	बिहार	सूखा	12564.04	931.87

2.	कर्नाटक	सूखा ओलावृष्टि	778.06 99.12	226.57 82.77
3.	आंध्र प्रदेश	सूखा ओलावृष्टि	638.09 59.71	254.54 40.06
4.	महाराष्ट्र	ओलावृष्टि	4475.76	552.88
5.	मध्य प्रदेश	ओलावृष्टि	5723.65	494.95
6.	उत्तर प्रदेश	ओलावृष्टि	500.53	270.55
	कुल:		**24838.96**	**2854.19**

2014-2015-के दौरान				
1.	हरियाणा	सूखा ओलावृष्टि	4829.250 1925.970	168.870 369.090
2.	कर्नाटक	सूखा ओलावृष्टि	779.200 151.280	200.850 105.330
3.	उत्तर प्रदेश	सूखा ओलावृष्टि	4819.490 7573.700	777.340 2801.590
4.	महाराष्ट्र	सूखा	6013.280	1962.990
5.	आंध्र प्रदेश	सूखा	1532.000	237.510
6.	राजस्थान	ओलावृष्टि	11885.450	1447.730
7.	बिहार	ओलावृष्टि	2041.100	791.420
8.	तेलंगाना	ओलावृष्टि	117.590	83.744
9.	हिमाचल प्रदेश	ओलावृष्टि	353.395	71.534
	कुल:		**42021.705**	**9017.998**
2015-2016 के दौरान				
1.	कर्नाटक	सूखा सूखा-आर	3830.84 1417.14	1540.20 723.23
2.	छत्तीसगढ़	सूखा	6093.79	1276.25
3.	मध्य प्रदेश	सूखा	5114.53	2032.68
4.	महाराष्ट्र	सूखा कश्मीर सूखा-आर	6020.36 2251.66	3638.83 679.54
5.	ओडिशा	सूखा	2344.99	815.00
6.	तेलंगाना	सूखा	2601.17	791.21
7.	उत्तर प्रदेश	सूखा सूखा-आर	2057.79 1888.35	1304.52 622.76
8.	आंध्र प्रदेश	सूखा	2000.56	433.77
9.	झारखंड	सूखा	2142.78	336.94
10.	राजस्थान	सूखा ओलावृष्टि	10537.02 4372.27	1193.41 79.18
11.	उत्तराखंड	सूखा-आर	91.97	70.22
	कुल:		**52765.22**	**15537.74**
2016-2017-के दौरान				
1.	कर्नाटक	सूखा (के)	4702.54 3310.83	1782.44 795.544

		सूखा (आर)		
2.	आंध्र प्रदेश	सूखा (के)	2513.97	518.93
3.	केरल	सूखा (के)	1019.90	112.05
4.	तमिलनाडु	सूखा (के)	39565.00	1748.28
5.	राजस्थान	सूखा (के)	3660.97	588.34
6.	पुडुचेरी	सूखा (आर)	150.52	17.70
	कुल		**54923.73**	**5563.28**

2017-18 के दौरान				
1.	छत्तीसगढ़	सूखा (के)	4401.00	395.91
2.	मध्य प्रदेश	सूखा (के)	3705.95	836.09
3.	राजस्थान	सूखा (के)	3078.26	526.14
4.	आंध्र प्रदेश	सूखा (आर)	679.19	113.14
5.	महाराष्ट्र	कीट हमला / ओखी चक्रवात	3373.31	60.76
6.	उत्तर प्रदेश	सूखा (आर)	678.98	157.23
कुल			**15916.69**	**2089.27**

2018-19-के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा (के)	1466.91	900.40
2.	कर्नाटक	सूखा (के)	2434.00	949.49
3.	महाराष्ट्र	सूखा (के)	7902.77	4714.28
4.	राजस्थान	सूखा (के)	2819.58	1206.62
5.	गुजरात	सूखा (के)	4547.85	127.60
6.	झारखंड	सूखा (के)	1535.292	272.42
7.	कर्नाटक	सूखा **(आर)**	2064.30	*
कुल			**22770.70**	**8170.81**

* उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखने के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया।

आर : रबी **के** : खरीफ

****

<u>लो.स.अता.प्र.सं. 1674</u>

अनुबंध- II

केरल राज्य में विशेष पैकेजों के अधीन अनुमोदित, स्वीकृत, उपयोग किए गए लैप्स हुए कुल फंड का विवरण

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	पैकेज का नाम	कुल अनुमोदित राशि	उपयोग किया गया	लैप्स हुआ	स्कीम की स्थिति
	केरल				
1.	वायनाड, पलक्कड़ और कासरगोड के किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज	8.78300	7.31900	2.17000	भारत सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए तीन योजनाओं के लिए 8.7830 करोड़ की राशि जारी की और ब्याज सहित 2.17 करोड़ रुपये की राशि सरेंडर की गई। 13.09.2011 को परियोजना समाप्त हो गई।
2.	कुट्टनाद पैकेज (कृषि विभाग से संबंधित राशि)	93.22997	90.19626	3.03371	सी-लेवल फार्मिंग (आईआरटीसीबीएसएफ) के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र से विचारणीय मुद्दे प्राप्त करने के बाद कुट्टनाद पैकेज चरण II 2018-19 के दौरान लागू होने जा रहा है। परियोजना का पहला चरण जुलाई 2012 को बंद हो गया।
3.	इडुक्की पैकेज	277.11000	237.11000	40.00000	भारत सरकार द्वारा बताया गया कि इडुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की अवधि नवंबर 2013 को समाप्त कर दी गई थी।
4.	कासरगोड पैकेज	3.64890	2.85958	0.78932	पैकेज योजना और आर्थिक मामलों कार्य विभाग के माध्यम से चल रही है और जारी है।
	बिहार				
1.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्तर पर पूसा (बिहार) का उन्नयन	400.00	215.00	-	संस्थान का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किया गया है। जुलाई 2018 तक, 215 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जबकि ईएफसी को 3 साल (2017-18 से 2019-20) के लिए 309.6 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। वर्ष 2016-17 में जारी किए गए 44.50 करोड़ रुपये, ईएफसी अनुमोदित 309.60 करोड़ में शामिल नहीं है। 2017-18 में 82.00 करोड़ रुपये और 2018-19 में 89.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
2.	मत्स्य पालन का विकास	200.00	36.00	-	कुल 244.79 करोड़ रुपये की लागत पर मत्स्य विभाग संबंधी प्रस्ताव है जिसकी केंद्रीय देयता 92.90 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। वर्ष 2018-19 में जारी 36.00 करोड़ रुपये की पहली

					किस्त जारी की गई है, शेष्ज्ञ 56.9 करोड़ रुपये की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त का उपयोग करने के बाद राशि जारी की जाएगी और उन्हें वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार को 74.90 करोड़ रुपये का राज्य अंशदान तथा 73.95 करोड़ रुपये का लाभार्थी अंशदान देना होगा।
3.	फार्म जल प्रबंधन (सूक्ष्म सिंचाई, जल संसाधनों का निर्माण)	750.00	27.91	-	डीएसीएंडएफडब्ल्यू की मौजूदा योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति बूंद अधिक फसल घटक (पीडीएमसी) के तहत, वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के अधीन 2018-19 से 300.00 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है। राज्य स्तरीय चयन समिति बिहार सरकार ने 2018-19 के लिए 55.00 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है और 2018-19 की पहली किस्त के रूप् में 27.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। तथा पिछले वर्ष से 35.96 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत दिसंबर 2019 से चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार में दो सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं- ये परियोजनाएँ हैं - दुर्गावती जलाशय परियोजना और पुनपुन बैराज परियोजना। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत सीएडीडब्ल्यूएन स्कीम के तहत, दुर्गावती जलाशय परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। 50.66 करोड़ रुपये की केंद्रीय देयता में से 2016-17 से 2017-18 में 21.408 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी की भूतल लघु सिंचाई योजना (एसएमआई) के तहत बिहार राज्य में 2 योजनाएं चल रही हैं। नामत: 129 एसएमआई योजना और 47 एसएमआई योजना जिनकी अनुमानित लागत क्रमश: 210.332 करोड़ रुपये और 141.289 करोड़ रुपये है। पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार एसएमआई योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 6.3576 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
4.	भंडारण क्षमता का विकास	600.00	-	-	डीओएफ एंड पीडी ने सूचित किया है, ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है जिसके तहत इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
5.	कृषि यंत्रीकरण	600.00	39.00	-	3 वर्ष (2017-18 से 2019-20) के लिए प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और 40 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, 2 हाई-टेक हब, 229 फार्म मशीनरी बैंक, 26466 कृषिगत मशीनीरियों के वितरण के लिए एसएमएएम के तहत वर्ष 2016-17 में 14.00 करोड़ रुपये और 2018-19 के दौरान 25.00 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके आगे राशि

					को राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में 42.99 करोड़ रुपये के खर्च न की गई राशि के उपयोग के अध्याधीन जारी की जानी है।
6.	बीज उत्पादन प्रणाली	300.00	44.88	-	बिहार सरकार के प्रस्ताव के अनुसार एसएमएसपी की मौजूदा योजना के तहत केवल 2 घटक पात्र हैं, अत: बिहार सरकार को आरकेवीवाई के तहत शेष घटकों को शामिल करने की सलाह दी गई है। अभी तक 2014-15 से 2018-19 तक 44.88 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
7.	समेकित कृषि प्रणाली का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मोतिहारी, बिहार	30.00	23.26	-	23.26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्कीम को जारी रखने के लिए ईएफसी (2017-2020) के लिए 28.96 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।
8.	सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नए गोदामों का निर्माण	214.00	-	-	बिहार में गोदामों के लिए विशेष योजना शुरू नहीं हुई है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

*****